

**पत्रांक-05/बी02-23/2011**  
**शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।**

प्रेषक,

सत्यनारायण,  
निदेशक जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),  
औरंगाबाद एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक -

विषय :- वित्तीय वर्ष-2013-14 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।  
महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष-200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय, विपत्र कोड-एन 2202042000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2013-14 में संलग्न विवरणी में अंकित राशि 9,45,300/- (नौ लाख पैतालिस हजार तीन सौ रू0) मात्र आपको अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार दी जाती है।

**विवरणी**

| क्र0सं0    | जिला का नाम | वेतन     | जी0या0 म0 | म0कि0 म0 | चि0म0 | योग वेतन एवं मत्ते | पत्रांक/दिनांक |
|------------|-------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------|----------------|
|            |             | 0101     | 0103      | 0104     | 0106  |                    |                |
| 1.         | औरंगाबाद    | 72,500   | 16,300    | 5,400    | 600   | 94,800             | 71/21.02.14    |
| 2          | नालन्दा     | 5,80,800 | 2,21,300  | 48,400   | —     | 8,50,500           | 296/18.02.14   |
| कुल योग :- |             | 6,53,300 | 2,37,600  | 53,800   | 600   | 9,45,300           |                |

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 3316 दिनांक-30.03.13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान आवंटित राशि से किया जा सकता है।

8. वर्ष 2001-06 की छटनी अवधि से संबंधित कोई सदृश्य मामला हो तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.L.P .(C) ...CC No. 5241/2007 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में भुगतान नहीं किया जाय।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सत्यनारायण),

निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 480

पटना, दिनांक- 21/3/14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं ह0), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव -सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-05/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सत्यनारायण),

निदेशक, जन शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव।  
SN